

1/381514/2023

संख्या- 04 /2023/001-96CMNSY-9-2-2023 E-1737839

प्रेषक,

सजीवन,
उप सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ०प्र० लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 05 सितंबर, 2023

विषय:- मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत नव सृजित नगर पंचायत, तरकुलवा जनपद- देवरिया को द्वितीय किशत अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं०-तक०सेल/194/21/मु०म०न०सु०यो०/ 2023-24, दिनांक 07.08.2023 एवं जिलाधिकारी, देवरिया के पत्र सं०-216/एल०बी०सी०-2023, दिनांक 21.04.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नव सृजित नगर पंचायत, तरकुलवा, जनपद-देवरिया को प्रथम किशत के रूप में अवमुक्त धनराशि से कराये गये कार्यों के सापेक्ष जिलाधिकारी, देवरिया द्वारा संस्तुत कुल 07 कार्यों के फोटोग्राफ्स, गुणवत्ता, निरीक्षण आख्या एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराते हुये द्वितीय किशत अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत नव सृजित नगर पंचायत, तरकुलवा, जनपद-देवरिया को शासनादेश सं०-160/2022/4351/002-ई-1667107-84ज-22, दिनांक 12.12.2022 द्वारा तालिका में उल्लिखित कार्यों हेतु प्रथम किशत अवमुक्त की गयी। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के लेखाशीर्षक-2217-80-193-03-00 के अन्तर्गत अवशेष धनराशि ₹० 4,02,97.50 लाख (₹० चार अरब, दो करोड़, सत्तानवे लाख, पचास हजार मात्र) में से नव सृजित नगर पंचायत, तरकुलवा, जनपद-देवरिया को कुल 07 कार्यों की अवशेष द्वितीय किशत की धनराशि ₹० 38,01,000/- (₹० अड़तीस लाख, एक हजार मात्र) तालिका में उल्लिखित कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि ₹० में)

क्र० सं०	कार्य का नाम	शासनादेश सं०- 160/2022/4351/002- ई० 1667107-84ज/22, दिनांक- 12.12.2022 द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी धनराशि का विवरण	अवमुक्त की गयी प्रथम किशत की धनराशि	व्यय धनराशि जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है (लाख ₹० में)	अवमुक्त की जा रही द्वितीय/अंतिम किशत की धनराशि
1	2	3	4	5	6 Col. (3-4)
1	नगर पंचायत तरकुलवा में देवरिया - कसया मेन पिच रोड बंजरिया मोड़ से मूसतकिम के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	1,149,000.00	5,74,500	5.48	5,74,500
2	नगर पंचायत	1,873,000.00	9,36,500	9.25	9,36,500

I/381514/2023

	तरकुलवा के परसौनी में रामभरत के मकान से प्राथमिक स्कूल गेट तक सी 0 सी0 रोड निर्माण कार्य।				
3	नगर पंचायत तरकुलवा के परसौनी में सुरेन्द्र के मकान से रमापति कुशवाहा के मकान तक सी 0 सी0 रोड निर्माण कार्य।	848,000.00	4,24,000	4.21	4,24,000
4	नगर पंचायत तरकुलवा के जमुनी में दूधनाथ शर्मा के खेत से उजियार टोला पिच मार्ग तक सी 0 सी0 रोड निर्माण कार्य।	1,251,000.00	6,25,500	6.22	6,25,500
5	नगर पंचायत तरकुलवा के सिरसिया पट्टी हुसैन में महेन्द्र मास्टर के मकान से सामुदायिक शौचालय तक नाली निर्माण कार्य।	687,000.00	3,43,500	3.42	3,43,500
6	नगर पंचायत तरकुलवा के कनकपुरा में रुपचन्द्र के मकान से उतिम राजभर के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	707,000.00	3,53,500	3.50	3,53,500
7	नगर पंचायत तरकुलवा के कनकपुरा में पप्पु कुशवाहा के मकान से हीरामन धोबी के मकान तक	1,087,000.00	5,43,500	5.39	5,43,500

I/381514/2023

इण्टरलाकिग रोड निर्माण कार्य।				
योग	76,02,000.00	38,01,000	37.47	38,01,000

(रू0 अड़तीस लाख, एक हजार मात्र)

नियम व शर्तें / प्रतिबन्ध

- स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-5/2023-बी-1-322/दस-2023, ई-पत्रावली सं0-10-5002/125/2021, दिनांक 02.05.2023 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सम्बन्धित निकायों को धनराशि नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।
- इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1489/नौ-9-2022-84ज/22, दिनांक 08.08.2022 के माध्यम से निर्गत मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रक्रियानुसार सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त/सम्बन्धित निकायों को व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।
- धनराशि का आहरण राजकोष में तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से बैंक/ डाक घर में नहीं रखी जायेगी।
- कार्यो हेतु निकाय स्तर पर गठित बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त ही कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपभोग नियमानुसार स्वीकृत किये गये कार्यो पर ही व्यय किया जायेगा।
- कार्यो की मात्राओं के निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निकाय का होगा।
- धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप ही किया जायेगा।
- प्रश्रुत कार्य करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किये जायें तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों का क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ किया जाये।
- कार्यो की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी सम्बन्धित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा/अवधि में ही पूर्ण हो जाये।
- प्रश्रुत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्ट्रिक्ट बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था/कार्य प्रारम्भ होने की तिथि का उल्लेख किया जायेगा।
- व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।
- लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियन्त्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखा अधिकारी अथवा सहायक लेखा अधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त नियन्त्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।
- सम्बन्धित निकाय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्रुत कार्यो हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा न ही वर्तमान में यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है। योजनान्तर्गत यदि किसी कार्य द्वारा वृत्ति होती है, तो सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी एवं वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारी द्वारा शासन को सूचित किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी एवं वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।
- इस सम्बन्ध में शासनादेश सं0-1489/नौ-9-2022-84ज/22, दिनांक 08.08.2022 के माध्यम से निर्गत मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। सम्बन्धित जिलाधिकारी समय-समय पर आवश्यकतानुसार कार्यो की जाँच कर गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु विकसित डैश बोर्ड पर योजना की भौतिक/वित्तीय प्रगति एवं फोटोग्राफ्स अपलोड किये जायेंगे।
- स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

I/381514/2023

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 38,01,000 (रुपये अड़तीस लाख एक हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217801930300 नवसृजित नगर पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय
Signed by सजीवन

Date: 05-09-2023 11:18:57

सजीवन,
(उप सचिव)
Reason: Approved

संख्या- 04 /2023/001-96CMNSY-9-2-2023 E-1737839, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (3) मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, कोषागार, लखनऊ।
- (4) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (5) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (6) सहायक निदेशक, (वित्त), नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- (7) जिलाधिकारी, देवरिया।
- (8) अधिशासी अधिकारी, नवसृजित नगर पंचायत, तरकुलवा, जनपद-देवरिया।
- (9) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
- (10) कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- (11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सजीवन,
(उप सचिव)

Non-Concurrence Sanction Report

Amount In : (Amounts in Lakhs of rupees) ▾

नगर विकास


स्वीकृति आदेश संख्या: 001-96CMNSY-9-2-2023 E-1737839

स्वीकृति तिथि:
04/09/2023

अनुदान संख्या: 37 - नगर विकास विभाग

लेखाशीर्षक: 2217801930300 - नवसृजित नगर पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास
आयोजनेत्तर-मतदेय
(धनराशि लाख रुपये में)

मानक मद	Voted	Charged
35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	38.01	0.00
योग :	38.01	0.00


(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव